न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 127/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रज्जू : 18.12.2025

निर्णय दिनांक : 28.04.2026

उनवान

बजरंग सिंह पुत्र नोबतसिंह जाति राजपूत निवासी विजयनगर तहसील मांढण जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

दलीप सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी विजयनगर तहसील मांढण जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

लालसिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी विजयनगर तहसील मांढण जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

उप पंजीयक मांढण जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय, मांढण जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्रीमती संजू यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

।। निर्णय ।। दिनांक – 28.04.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष वाद बउनवानी बजरंग सिंह बनाम दलीप सिंह वगै0 व प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण की तलबी द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस करवाई गई लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं आने पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।
3. वकील प्रार्थी को सुना गया।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण दलीप सिंह, लालसिंह वगैराह के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद उनवानी बजरंग सिंह बनाम दलीप सिंह वगैराह व इसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया था, जिसकी बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा अप्रार्थीगण की निर्माण कार्य ना करने के लिए पाबन्द किया था। अप्रार्थीगण बाजौर झगडालू किस्म के व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण के द्वारा स्टे के बावजूद भी वादग्रस्त आराजी में निर्माण कार्य जारी रखा इस पर प्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जिसको एस०डी०एम० नीमराना के नाम मार्क कर भेज दिया था किन्तु उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण निर्माण कार्य कर रहे हैं तथा कृषि भूमि में निर्माण कार्य कर उसकी प्रकृति बदल रहे हैं तथा एलानिया धमकी देते हैं कि हमने उपखण्ड अधिकारी से बात कर ली है और स्टे भी तुडवा देगे और आराजी में निर्माण कार्य करेगे और प्रार्थी को ताकत के बल पर बेदखल करने की भी धमकी दी है। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

नीमराना से न्याय की उम्मीद नहीं है तथा प्रार्थी के उक्त प्रकरण का अन्य किसी उपखण्ड अधिकारी से विचारण कराये जाने के आदेश दिये जाने न्यायोचित है। अतः वाद अनुवानी बजरंग सिंह बनाम दलीप सिंह वगैराह व प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय से ट्रांसफर की जाकर क्षेत्राधिकार में स्थित अन्य किसी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दावे का विचारण करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, प्रार्थी अधिवक्ता की दलीलों, पत्रावली के समस्त अभिलेखों पर सम्यक् विचार किया गया। प्रार्थी का मुख्य आधार यह है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष विचाराधीन वाद बउनवानी बजरंग सिंह बनाम दलीप सिंह वगै0 व प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट में उसे निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की आशंका है तथा इस न्यायालय द्वारा पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी नीमराना के विरुद्ध लगाए गए आरोप सामान्य, अस्पष्ट एवं अनुमान आधारित हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस, विश्वसनीय अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण आचरण किया जा रहा है अथवा प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की वास्तविक एवं युक्तियुक्त आशंका है। मात्र इस आधार पर कि प्रार्थी को न्यायालय से न्याय मिलने की आशंका है, बिना किसी ठोस एवं विश्वसनीय आधार के, वाद का स्थानांतरण किया जाना न्यायोचित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी को तहत न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त है। जिसे प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। इस स्थिति में प्रतीत होता है कि तहत न्यायालय में विचारधीन प्रकरण में प्राप्त स्थगन आदेश को लंबित रखने के उद्देश्य से प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विधिसम्मत आधारों से रहित है तथा इसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अपर्णा गुप्ता)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़